न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—65/2021 (2021/196) वाद पत्र

उनवान

1—अमीरन पत्नि भुरे खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—रफीक मोहम्मद पिता भुरे खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—सदीक मोहम्मद पिता भुरे खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—शब्बीर मोहम्मद पिता भुरे खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—हफीज मोहम्मद पिता भुरे खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—मुलीबाई पत्नि लक्ष्मणलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—कृष्णाकंवर पत्नि घनश्यामसिंह राजपूत निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — वादीगण अधिवक्ता
2. हरीश चन्द्र टेलर — प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—21.07.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम केमुनिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में वादीगण संख्सा 1 के पति व वादीगण संख्या 2 लगायत 5 के पिता भुरे खां पिता वजीर खां मुसलमान के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 875/3 रकबा 5 बीघा, आराजी संख्या 875/4 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, आराजी संख्या 875/1 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि कुल कित्ता 03 कुल रकबा 10 बीघा भूमि साबिक खाता संख्या 275 पर दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण में नकल साबिक जमाबंदी 2049 से 2052 तक वाद पत्र के साथ पेश की है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम केमुनिया के बैरून हल्का आबादी में प्रतिवादियां संख्या 01 के खरीद शुदा साबिक आराजियात संख्या 884/3ख व 883/3 मीन जिसके मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन आराजी नम्बर 1730 रकबा 0.02 हैक्ट. गे.मु. आचा नवीन आराजी नम्बर 1758 रकबा 0.40 हैक्ट, नवीन आराजी नम्बर 1759 रकबा 0.41 हैक्ट कुल किता 03 कुल रकबा 0. 83 हैक्ट कायम हुए। उक्त भूमि प्रतिवादियां ने काफी वर्ष पूर्व क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। प्रतिवादियां संख्या 01 ने पूर्व खातेदार से जहां उनका कब्जा था, उसी अनुसार मौके पर कब्जा प्राप्त किया तथा वर्तमान में उसी अनुसार मौके पर काबिज है। वादीगण की कलम नम्बर 01 में वर्णित भूमियां भी अलोटशुदा हैं, वक्त आवंटन से ही वादीगण मौके पर काबिज चले आ रहे हैं। वादीगण की साबिक आराजियात के नवीन न[illegible]जी नम्बर 1731 रकबा 1.35 हैक्ट, साबिक आराजी संख्या 875/3, 875/4 दोनों [illegible] कायम हुए तथा नवीन आराजी संख्या 1734 रकबा 0.83 है[illegible] 875/1 के कायम हुए। प्रमाण में मिलान क्षेत्रफल एवं नवीन जमाबंदी वाद पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। वादी[illegible]ख्या 1 व अन्य प्रतिवादीगण की नवीन आराजी संख्या 1735 व [illegible]31 में से आंशिक भूमि[illegible]दी संख्या 02 कृष्णा कंवर पत्नी घनश्याम सिंह राजपुत को विक्रय की, जिससे विक्रयशुदा रकबे के नवीन नम्बर 2153/1735 रकबा 0.08 हैक्ट, नवीन आराजी नम्बर 2154/1731 रकबा 0.36 हैक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:18 IST
Reason: SelfAttested

कुल किता 02 कुल रकबा 0.44 हैक्ट उनके नाम पर दर्ज हुए। विक्रय से पूर्व वादीगण की सम्पूर्ण भूमियां प्रतिवादियां संख्या 01 की भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित थी। वादीगण इसी अनुसार मौके पर काबिज थे। प्रतिवादी संख्या 01 व वादीगण की भूमियों के मध्य करीब 60—70 वर्ष पुरानी दीवार बनी हुई थी। उक्त दीवार के सटमा प्रतिवादियां संख्या 01 का कुआ निर्मित है, जो मुख्य सड़क गंगापुर से रायपुर जाने वाली सड़क के दक्षिण दिशा में स्थित हैं। उक्त सड़क साबिक नक्शे में एवं नवीन नक्शे में निकली हुई हैं, लेकिन वर्तमान सड़क जो मौके पर निकली हुई हैं, वह नवीन नक्शे में सही जगह फीट नहीं की गई हैं, क्योंकि सड़क से प्रतिवादियां संख्या 01 का कुआ मात्र 20 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन राजस्व नक्शे में 60 मीटर की दूरी पर दिखाया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादियां संख्या 01 के मध्य बनी दीवार के पश्चिमी और आशिक भूमि प्रतिवादियां संख्या 02 को विक्रय करने के उपरान्त आंशिक भू—भाग खरीददार की खरीद शुंदा भूमि की तरमीम नवीन नक्शे में होने से तरमीम शुदा भूमि के पूर्वी और करीब 0.12 हैक्ट भूमि वादीगण के कब्जेशुदा नवीन नक्शे में छूट गई, जो वर्तमान में वादीगण के उपयोग, उपभोग में होकर उसमें रेत, ईट, पत्थर आदि पड़े हुए हैं। उक्त 0.12 हैक्ट रकबे को प्रतिवादिया संख्या 01 ने जबरन हड़पने की गरज से अपनी खातेदारी भूमियां की पत्थरगढ़ी करवाई, पत्थरगढ़ी करने के उपरान्त 0.12 हैक्ट भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु पत्र तहसीलदार साहब रायपुर के यहां पेश किया गया, आवेदन की सुनवाई के दौरान भू—अभिलेख निरीक्षण एवं पटवार हल्का ने मौके पर प्रतिवादियां संख्या 01 की भूमियों की नपती एवं नवीन नक्शे अनुसार मौका रिपोर्ट कायम की जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया की प्रतिवादिया संख्या 01 की भूमि मौके पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज रकबे से भी अधिक हैं तथा उस पर प्रतिवादियां संख्या 01 की उक्त भूमियों के पश्चिम दिशा में वादीगण का कब्जे शुदा रकबा 0.12 हैक्ट, जिस पर प्रतिवादियां संख्या 01 का कब्जा नहीं हैं क्योंकि मौके पर बिलानाम आराजी संख्या 1760 का आंशिक रकबा 0.12 हैक्ट. उसके कब्जे में हैं। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत बेदखली की कार्यवाही में तहसीलदार साहब रायपुर द्वारा जो निर्णय पारित किया गया, उसमें भी उन्होंने उक्त मौका पर्चा को नजर अन्दाज करते हुए निर्णय पारित किया गया, जिसकी अपील वादी रफीक मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत कर दी गई हैं. लेकिन वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के साबिक एवं हाल नक्शे में अन्तर होने से तथा मौके पर निकली हुई सड़क भी राजस्व नक्शे में गलत जगह अंकित है। प्रतिवादियां संख्या 01 की खरीदशुदा साबिक आराजियात मुल साबिक नम्बर 883 व 884 में थी, जो काफी बड़ा रकबा था। वादीगण की कब्जेशुदा भूमियां मूल साबिक आराजी नम्बर 875 में थी, जो काफी बड़ा रकबा था तथा साबिक नक्शे में बट्टा नम्बर की तरमीम प्रतिवादी संख्या 01 की भूमि की पूर्ण हैं। व दोनों नक्शों में अन्तर होकर मौके पर कब्जा एवं रेकार्ड की स्थिति में भिन्नता हैं, जिससे इन्द्राज दुरुस्ती की घोषणा डिक्री वादी गण जारी करने के अधिकारी हैं। प्रतिवादियां संख्या 01 को भी मौके पर अपने कब्जेशुदा भूमियों की इन्द्राज दुरूस्ती करवानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं करवाई। वादीगण द्वारा विक्रय की गई भूमि की तरमीमात नवीन नक्शे में होने से आंशिक 0.12 हैक्ट, रकबा प्रतिवादी संख्या 01 की भूमियों [illegible] दिशा में छुटा, जो वादीगण का ही होकर मौके पर उनका कब्जा हैं। प्रतिवादियां संख्या 01 की भूमियों का रकबा मौके पर उसके कब्जे में हैं। तथा मौके पर राजस्व [illegible] रकबे पर उनका कब्जा हैं, लेकिन प्रतिवादियां संख्या 01 की नियत में फितुर आ जाने से वादीगण को जबरन ताकत के बल पर बेदखल करना चाहती हैं। तथा भूमियों [illegible] कीमते बढ़ने से प्रतिवादियां वादीगण की जमीन बिना नक्शा दुरूस्ती करवाये कब्जा करने पर आमदा हैं। दिनांक 30.09.2021 को प्रतिवादियां का पति लक्ष्मणलाल व उसके पुत्र श्यामलाल, नाथुलाल सभी ने मिलकर वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:18 IST
Reason: SelfAttested

की उक्त कब्जेशुदा भुमि मं जबरन जेसीबी मशीन लेजाकर रोड की तरफ बनी दीवार को ढसा दी तथा खड़े वृक्षों को उखाड़ दिया मना करने पर भी नहीं माने और मारपीट करने पर उतारू हुएं जिससे वादीगण ने पुलिस थाना रायपुर में रिपोर्ट पेश की, इसके उपरान्त भी आये दिन कब्जा करने की धमकिया दे रहे हैं, जिससे उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में अंकित साबिक आराजियात कुल किता 3 कुल रकबा 10 बीघा भूमि जिसके नवीन नम्बर 1731, 1734 कायम हुए है को व आराजी संख्या 2002/1735 के रकबे को नवीन नक्शे में साबिक नक्शे के अनुरूप दर्ज करवाया जाने तथा मौके पर निकली हुई सड़क को साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शे में फीड करवाने का प्रतिवादी संख्या 3 के नाम आदेश जारी फरमाया जावें एवं विकल्प में वादीगण का साबिक आराजियात के अनुरूप नवीन रकबे में 0.12 है0 भूमि जो वादीगण की कब्जेशुदा है की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जाकर मूल रकबे का उन्हे खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वादीगण की खातेदारी की नवीन आराजी संख्या 1731, 1934, 2002/1735 भूमि जिसके पूर्व दिशा में प्रतिवादीयां संख्या 2 की आराजी संख्या 2153/1735, 2154/1731 कुल किता कुल रकबा 0.44 है0 भूमि के पूर्वी और छुटे हुए शेष 0.12 है0 भूमि जिस पर वादीगण काबिज है से वादीगण को नवीन नक्शे में दुरूस्ती होने तक जबरन बेदखल नही करे उनके कब्जे में किसी प्रकार की दंखलदाजी ने तो स्वयं करे न अन्य से करावे। मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। दौराने वाद बेदखल कर देवे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के कब्जा पुनः दिलावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 04.10.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 2 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी संख्या 3 फौरमल पक्षकार जिनसे कोई दाद नही चाही गई है।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अपने प्रतिवाद में अंकन किया कि वादपत्र की कलम संख्या वादीगण स्वयं साबित करावे। वादीगण को उनके अलोटशुदा भूमि पर काबिज चले आ रहे है तो प्रतिवादी भी उनकी खरीदशुदा भूमि पर काबिज चली आ रही है। वादीगण ने उनकी नवीन आराजी संख्या 1735 व 1731 में से प्रतिवादी संख्या 2 को जमीने बेची जो करीबन 0.44 है0 जिससे प्रतिवादी संख्या 1 को कोई लेदा देना नही है। वादीगण की भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 के पश्चिम दिशा में स्थित है और वादीगण उसी अनुसार उस पर काबिज हैं।" प्रतिवादियां व वादीगण की भूमियों के बीच कोई पुरानी दीवार नहीं थी बल्कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 02 को 0.44 हैक्ट भूमि विक्रय करने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा यह दीवार निर्मित की हैं, जो [illegible] लग रही हैं। सड़क व कुंआ स्थित होकर सही जगह फीड हैं। वादीगण व [illegible] संख्या 01 के मध्य बनी दीवार के पश्चिमी ओर आंशिक भूमि प्रतिवादी [illegible] पश्चात् आंशिक भू—भाग खरीदशुदा भूमि की तरमीम नवीन [illegible] आराजियात में ही की गई हैं, तो किसकी भूमि के पूर्वी ओर, और किस आराजी नम्बर [illegible] पूर्वी ओर 0.12 हैक्ट भूमि वादीगण के कब्जे शुदा छुटी हुई हैं। इसका स्पष्ट अंकन नहीं हैं। ऐसी कोई भूमि वादीगण की छुटी हुई नहीं हैं। न ही उसमें रेत, ईंट, पत्थर पड़ हुए ही हैं। वादीगण की कोई भूमि हैं ही नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:18 IST
Reason: SelfAttested

तथा 0.12 हैक्ट भूमि किस खसरा नम्बर की हैं, और इसका खातेदार कौन हैं, तथा प्रतिवादी संख्या 01 ने उसकी खातेदारी की भूमियों की पत्थरगढ़ी करवाई। वादीगण की किसी भी भूमि को हड़पने का कोई उपक्रम नहीं किया। यहां यह स्पष्ट करना अनिवार्य होगा कि दिनांक 06.05.2019 को मुझ प्रतिवादी की आराजी संख्या 1759 रकबा 0.41 हैक्ट भूमि के उत्तरी पश्चिमी पाली पर 0.12 हैक्ट, भूमि पर वादी रफीक मोहम्मद ने ईट, रेत, कांटे एवं पत्थर डालकर बलात् आधिपत्य कर दिया और धमकी दी कि यह भूमि मेरी हैं, इसलिये कब्जा किया है और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, इस पर मुझ प्रतिवादिया ने उसको कहा कि हम अपनी—अपनी जमीन की पत्थरगढी करवा लेते हैं, तो दिनांक 08.05.2019 को वादीगण ने पत्थरगढी करवाने से इंकार कर दिया तो मुझ प्रतिवादियां ने मेरी खातेदारी की आराजी संख्या 1759, 1730, 1758 कुल किता 03 कुल रकबा 0.83 हैक्ट भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसके प्रकरण संख्या 76 / 2019 बअनवान मुलीबाई खटीक बनाम नारायण वगैरा हैं। तथा दिनांक 11.09.2019 को न्यायालय हाजा द्वारा पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 18.03.2020 को गिरदावर सर्कल व पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पत्थरगढ़ी की जाकर रुण्डे रूपवाये गये, जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी की आराजी संख्या 1759 के 0.12 हैक्ट, भू—भाग पर जो उत्तरी पश्चिमी पाली पर हैं, वादीगण रफीक का कब्जा पाया गया। जिससे वह अतिक्रमी था, और मैं प्रतिवादियां संख्या 01 अनुसूचित जाति की महिला होकर मैंने विधिवत तरीके से वादीगण से कब्जा प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी सक्षम न्यायालय तहसीलदार साहब, रायपुर जिला भीलवाड़ा के यहां प्रस्तुत किया, जिसके प्रकरण संख्या 2 / 2020 बअनवान श्रीमति मुलीबाई बनाम रफीक मोहम्मद पठान हैं, इसमें तहसीलदार साहब रायपुर ने दोनों पक्षों की बाद सुनवाई दिनांक 26.08.2021 को प्रतिवादियां का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रफीक मोहम्मद को मौके से बेदखल कर उसका कब्जा मुझ प्रतिवादिया को दिलाने का आदेश प्रदान किया तथा उसकी पालना में दिनांक 30.9.2021 को गिरदावर सर्कल एवं पटवारी हल्का रायपुर ने मुझ प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी की आराजी संख्या 1759 के 0.12 हैक्ट. रकबे पर वादी रफीक मोहम्मद द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाकर व उसे मौके से बेदखल कर उसका कब्जा मौके पर प्रतिवादियां को सिपुर्द कर दिया, तब से मैं प्रतिवादिया उस पर काबिज होकर उक्त वर्णित भूमि का उपयोग उपभोग करती चली आ रही हूं। वादीगण का उक्त वर्णित भूमि से कोई लेना देना ही नहीं हैं। में प्रतिवादियां अनुसूचित जाति की महिला हैं और मुझ प्रतिवादियां की खातेदारी की भूमि वादीगण की कैसे हो सकती हैं। यह वाद पत्र ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन होने से विधि द्वारा वर्जित हैं और खारिज होने योग्य हैं। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा की गई बेदखली की कार्यवाही में तहसीलदार साहब रायपुर द्वारा निर्णय पारित किया गया, वह पूर्ण रूप से विधि सम्मत हैं, और यदि वादीगण द्वारा इसके संबंध में अपील प्रस्तुत कर दी गई हैं, तो इस वाद पत्र में उठाये गये सम्पूर्ण आराजियात उसी अपील में काननन वादीगण द्वारा लेने चाहिए। यह वाद पत्र उस अपील के विचाराधीन होते चलने योग्य नहीं है, [illegible] एक ही विषय वस्तु के संबंध में दो अलग—अलग न्यायालय के निर्णय व विचार आने [illegible] बढ़ जाती हैं, जो गलत हैं। नक्शे में किसी भी प्रकार की गलत [illegible] न्यायालय को गुमराह करना चाहते है, और इस वाद के जरिये रफीक मोहम्मद द्वारा मुझ प्रतिवादियां की भूमि पर जो अतिक्रमण किया गया था, बाद में उसे मौके से बेद[illegible] भी कर दिया गया था, को वादीगण इस वाद के जरिये अपने नाम पर करवाने चाहते हैं। प्रतिवादीयां के विरूद्व खातेदारी की एवं कब्जे की भूमि पर वादीगण को किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का कानूनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:32:18 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार नही है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि वादीगण ने खुद की आराजी की दुरूस्ती का अनुतोष मांगा है, इसलिये वादीगण चाहे तो राजस्व रेकार्ड के अनुसार उनके कब्जे की जमीन को नपवा कर संतुष्ट हो सकते है। प्रतिवादीयां ने विधिवत तरीके से न्यायालय से आदेश प्राप्त कर भूमि पर रफीक मोहम्मद द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाकर पुनः कब्जा प्राप्त किया है। प्रतिवादीयां खातेदार काश्तकार है और भूमि पर काबिज है इसलिये मेरी भूमि पर किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

वाद और प्रतिवादी के आधार पर दिनांक 09.06.2022 को न्यायालय में बरोज पेशी उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि दोनो खातेदार के नाम जो राजस्व रेकार्ड में भूमि दर्ज है और उसके अनुरूप उभयपक्षकारान का मौके पर जो कब्जा है उसकी मौका स्थिति का सत्यापन करा कर अगर उभयपक्ष अपने—अपने नाम साबिक आराजियात के रकबे पर काबिज है तो मौके की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मौका निरीक्षण करा न्यायालय निर्णय पारित करे उसमें किसी पक्ष को कोई आपत्ति नही है। उभयपक्ष अधिवक्ओ के निवेदन पर प्रकरण में मौका निरीक्षण हेतु नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय रायपुर से मौका निरीक्षण कराया गया। नायब तहसीलदार के द्वारा उभयपक्षकारान एवं उनके अधिवक्तओ की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर पक्षकारान को अपने कब्जे एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि की मौका स्थिति से अवगत कराते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की गई जो शामिल पत्रावली है।

नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम केमुनिया की हाल आराजी संख्या 1731, 1734, 2002/1735, 2153/1735, 2154/1731 एवं साबिक आराजी संख्या 875 एवं 883/25 के मध्य लाईन की तुलनात्मक दृष्टि से लम्बवत दक्षिणी ओर पेसिंली लाइन डाली गई गई जो साबिक आराजी संख्या 918 मौके पर गै.मु. चाह की पूर्वी दिशा की ओर सटी हुई लाईन डाली गई जिस पर मुस्तकील बिन्दु 918 से सटी हुई लाईन मुस्तकील बिन्दु कायम किया गया उसके बाद उक्त लाईन उत्तर दिशा की ओर बढ़ाने पर साबिक आराजी संख्या 917, 920 के मध्य पेड़ को जो उक्त लाईन कटान हो रहा है पर मुस्तकील बिन्दु कायम कर झण्डी कायम की गई तत्पश्चात आराजी संख्या 922 की उत्तरी भुजा पर जहां उक्त लाईन का कटान हो रहा है जहां पर बिन्दु कायम कर झण्डी कायम की गई तत्पश्चात रायपुर—गंगापुर सड़क की ओर साबिक आराजी संख्या 875 व 883/25 के मध्य स्थित लाईन को सीधी की जाकर झण्डी कायम की गई। इस प्रकार मौके पर चलाई गई जरीब से दोनो साबिक आराजी के मध्य स्थित लाईन का मौके पर खुलासा किया गया। साबिक आराजी संख्या 875/3, 875/4 के हाल आराजी संख्या 1731 बने एवं साबिक आराजी संख्या 875/2 के हाल आराजी संख्या 1732 बने एवं साबिक आराजी संख्या 875/5ख के हाल आराजी 1733 बने एवं साबिक आराजी संख्या 875/1 के हाल आराजी 1734 एवं साबिक आराजी संख्या 675मी के हाल आराजी 1735 बने एवं साबिक आराजी संख्या 883/3मी के हाल आराजी संख्या 1759 बने मिलान खसरा क्षैत्रफल से अंकन किया गया। मौके पर हाल [illegible] संख्या 1759 एवं 2154/1731, 2153/1735 के मध्य त्रिभुजाकार [illegible] प्रदर्शित है जो मौके पर पड़त पड़ी हुई है। आराजी संख्या [illegible] में हाल आराजी संख्या 2153/1735, 2154/1731 के मध्य पक्की दीवार बनी हुई है जो कृष्णाकंवर पत्नि घनश्यामसिंह राजपूत सा. भींटा की मौके पर काबि[illegible] होना पाया गया। मौके पर साबिक आराजी संख्या 875 व साबिक आराजी संख्या 883/25 के मध्य स्थित भुजा का पुख्ता सीमा ज्ञान कर हाल नक्श ट्रेस में दर्ज आराजी संख्या 2153/1735, 1754/1735 के पूर्वी तरफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:18 IST
Reason: SelfAttested

बाउन्ड्री वाल बनी हुई है जो कृष्णाकंवर की है जो साबिक नक्शे की तुलना में हाल नक्शे में सीमा कायम की गई जो सही पायी गई। जो विवादित भाग हाल खसरा नम्बर 1759 का होना रेकार्ड से पाया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि वादीगण आराजी संख्या 1731, 1734, 2002/1735, का खातेदार कृषक है आराजी संख्या 1731 मे से वादीगण के द्वारा विपक्षी संख्या 2 को पूर्वी दिशा की ओर भूमि विक्रय की गई है जहां विपक्षी संख्या 2 काबिज होकर मौके पर शान्तिपूर्ण तरीके से उपयोग उपभोग कर रही है। विपक्षी संख्या 2 के पूर्व की ओर जो रकबा मौके पर स्थित है उस रकबे को वादीगण अपनी साबिक खातेदार आराजियात का भाग बताकर प्रस्तुत किया गया है। वादीगण मूल रूप से साबिक आराजी संख्या 875 का खातेदार कृषक था एवं विपक्षी संख्या 1 साबिक आराजी संख्या 883 व 884 के खातेदारान से भूमि क्रय की गई है जो प्रतिवादी संख्या उक्त दोनो नम्बरान से बने नवीन नम्बर पर काबिज है।

इस प्रकरण मे न्यायालय के समक्ष मुख्य विवाद का विषय यह उभर कर आया कि प्रतिवादी संख्या 2 से पूर्व की ओर जो भू भाग पड़ा हुआ है वो साबिक आराजी संख्या 875 भाग है या साबिक आराजियात 883 का भाग है ?

इस बिन्दु की जांच उभयपक्षकारान की सहमति से नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय रायपुर को आदेशित किया गया जिनके द्वारा उभयपक्षकारान एवं उनके अधिवक्ताओ की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर साबिक और हाल नक्शे को ध्यान में रखते हुए नपती कर मौका स्थिति से दोनो पक्षो को अवगत कराया गया जिस पर पाया कि आराजी संख्या 2153/1735 एवं 2154/1731 के पूर्वी ओर जो खाली भू भाग पड़ा हुआ है जो साबिक आराजी संख्या 883 का भाग होना मौके पर पाया गया। वादीगण मूल साबिक आराजी संख्या 875 के बटा नम्बरो का खातेदार है प्रतिवादी संख्या 1 साबिक आराजी संख्या 883 के बटा नम्बरान के खातेदार से क्रय की गई है दोनो पक्ष अलग अलग आराजियात के खातेदार है। वादीगण की आराजी का कोई भी भू भाग कृष्णाकंवर से पूर्व दिशा की ओर स्थित नही है। वादीगण के द्वारा अपनी खातेदारी आराजियात में से पूर्वी भाग की भूमि कृष्णाकंवर को विक्रय की गई है। और वादीगण का जहां कब्जा था वो ही भूमि कृष्णाकंवर को विक्रय करने मौके पर कृष्णाकंवर का कब्जा पाया गया उससे आगे पूर्व की ओर का जो भू भाग है वो वादीगण की आराजी का भू भाग नही है। वादीगण के द्वारा जो वाद पेश किया गया है जो साबिक और हाल राजस्व रेकार्ड के विपरीत होने से खारीज होने योग्य है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद साबिक और हाल राजस्व रेकार्ड के विपरीत होने से अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:18 IST
Reason: SelfAttested

21/07/2022
[illegible]लाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—65/2021 (2021/196) वाद पत्र

उनवान

1—अमीरन पत्नि भुरे खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—रफीक मोहम्मद पिता भुरे खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—सदीक मोहम्मद पिता भुरे खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—शब्बीर मोहम्मद पिता भुरे खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—हफीज मोहम्मद पिता भुरे खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—मुलीबाई पत्नि लक्ष्मणलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—कृष्णाकंवर पत्नि घनश्यामसिंह राजपूत निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद साबिक और हाल राजस्व रेकार्ड के विपरीत होने से अस्वीकार किया जाता है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 21.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

21/07/2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:18 IST
Reason: SelfAttested